

**पूर्वोत्तर रेलवे
अधिसूचना**

विषय : सिग्नल एवं दूर संचार विभाग में जेई (सिग्नल) ग्रेड पे - 4200 लेवल - 6 के 20 प्रतिशत LDCE कोटे (इण्टर अप्रेंटिश् कोटे) की रिक्तियों को सीबीटी द्वारा चयन के माध्यम से भरने के सम्बन्ध में।

लखनऊ मंडल में सिग्नल एवं दूरसंचार विभाग में जूनियर इंजीनियर/सिग्नल लेवल - 6 20% LDCE कोटे की रिक्तियों को सीबीटी के द्वारा चयन के माध्यम से भरे जाने का निर्णय लिया गया है। जिसके लिए निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता एवं सेवा शर्तों की अर्हता पूर्ण करने वाले सिग्नल विभाग के कर्मचारियों के विकल्प/आवेदन पत्रों के आधार पर बुलाया जायेगा। चयन में सम्मिलित होने के लिये विकल्पदाता कर्मचारियों को निम्न शर्तें पूरी करनी आवश्यक है तथा रिक्तियों का विवरण निम्नवत है -

क्रम सं.	पद	ग्रेड पे /लेवल	कुल रिक्तियां	रिक्तियों का बटवारा		
				UR	SC	ST
1	जेई (सिग्नल)	ग्रेड पे- 4200 लेवल- 6	01	01	NIL	NIL

PwBD Suitability not identified for the post of JE/Sig. Hence, no vacancy is reserved for PwBD Category.

आवेदन करने के लिए नियम एवं शर्तें:-

1. आर बी ई. सं० 85/2010 दिनांक 09.06.2010 के अनुसार अधिसूचना जारी करने की तिथि तक कर्मचारी की अधिकतम उम्र सामान्य 47 वर्ष एवं अजा/अजजा वर्ग की 52 वर्ष होना चाहिए।
2. लखनऊ मंडल के सिग्नल विभाग के कुशल कारीगर श्रेणी के वरि तकनी /सिग्नल/लोहार, तकनी-I/सिग्नल/लोहार, तकनी-II/सिग्नल/लोहार एवं तकनी-III/सिग्नल/लोहार में कार्यरत नियमित कर्मचारी जिनकी अधिसूचना जारी करने की तिथि को 03 वर्ष की सेवा पूरी हो गई हो, आवेदन करने के लिए पात्र होंगे (आरबीई सं०-108/2003 दिनांक 23.06.2003)
3. आरबीई सं० 102/2019 दिनांक 25.06.2019 में दिये गये निहित निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षण अवधि को केवल परीक्षा में शामिल करने हेतु गणना में लिया जायेगा।
4. आरबीई सं० 145/2003 दिनांक 25.08.2003 के अनुसार शैक्षणिक योग्यता संगत ट्रेड में ITI/Act Apprenticeship या 10+2 विज्ञान (गणित+भौतिक) में पास होना चाहिए तथा ITI/Act Apprenticeship उस ट्रेड में होना चाहिए जो ट्रेड जेई/सिग्नल से Relevant हों।
5. रेलवे बोर्ड के पत्र E/(NG)/99/PM/7/17 Date 28.07.2003 (RBE No. 127/2003) के अनुसार यदि कोई कर्मचारी संगत ट्रेड में डिग्री / डिप्लोमा की अर्हता रखते हैं, वैसे कर्मचारी भी पात्र होंगे। (आरबीई सं० 07/2019 दिनांक 10.01.2019)
6. रेलवे बोर्ड के पत्र E/(NG)/2005/PM/1/52 Date 22.08.2006 (RBE No.117/2006) के अनुसार योग्यता एवं आयु अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से मान्य होगा।
7. चूंकि यह सामान्य चयन है। अतः आरबीई 17/2014 दिनांक 06.02.2014 के अनुसार पैनल मेरिट के आधार पर तैयार किया जाएगा।
8. आरबीई सं० 42/2020 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार चयनित अभियार्थियों का पदस्थापना के पूर्व नियमानुसार प्रशिक्षण करवाया जायेगा।

Handwritten signature/initials

9. वह कर्मचारी जो इस मंडल में Inter Railway request transfer/ Inter Divisional request transfer on bottom seniority में आये है, वे RBE 99/2006 दिनांक 27.07.2006 में अंकित प्रावधान के अनुसार शासित होंगे।
10. चयन हेतु सीबीटी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरांत जेई / सिग पद के लिए निर्धारित ए - थ्री (Aye - Three) चिकित्सा श्रेणी में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
11. रेलवे बोर्ड के पत्र संक E/NG/I-2018 PM1/4 Date 14.12.2018 (RBE No. 196/2018) में दी गई कार्य पद्धति के अनुसार उक्त चयन सी०बी०टी० (Computer Based Test) के माध्यम से सम्पन्न की जायेगी।
12. रेलवे बोर्ड के पत्र सं० E/NG/I-2000/PM1/41 Date: 07.08.2003 (RBE No. 137/2003) के अनुसार कर्मचारी को लिखित परीक्षा में 60 प्रतिशत के साथ-साथ कुल Aggregate में 60 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। चूंकि जेई/सिग्नल संरक्षा कोटि से संबंधित है इसलिए अजा/अजजा को इसमें कोई छूट नहीं है।
13. परीक्षा की तिथि, स्थान एवं समय की सूचना अलग से दी जाएगी, साथ ही पूरक परीक्षा / अनुपस्थित परीक्षा का कोई प्रावधान नहीं होगा।
14. सभी अभ्यर्थी आवेदन के साथ सत्यापित छायाप्रति एवं आरक्षित समुदाय के अभ्यर्थी अपने जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।
15. महाप्रबंधक /कार्मिक / गोरखपुर के पत्र सं. का/254/चयन/प्रश्न बैंक/निर्देश/चार/80 दिनांक 20.03.2019 के अनुसार पदोन्नति परीक्षाओं को सरल बनाने एवं शीघ्र निपटारे हेतु 100% वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। परीक्षा में 100 प्रश्न एवं समय 90 मिनट रखा गया है (आरबीई सं० 97/2019) एवं आरबीई सं० 194/2019 के अनुसार प्रत्येक उत्तर पर 1/3 नकारात्मक मूल्यांकन होगा।
16. निर्धारित अंक का 10 प्रतिशत प्रश्न राजभाषा से सम्बंधित होंगे, जिसका उत्तर देना वैकल्पिक होगा।
17. यदि किसी कर्मचारी को इस अधिसूचना से सम्बंधित कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना जारी होने की तिथि से 05 दिन के भीतर अपने पर्यवेक्षक के अग्रसारण से इस कार्यालय को अवगत करा दें, अन्यथा यह मान लिया जायेगा कि किसी कर्मचारी को कोई आपत्ति नहीं है। यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि नियत अवधि के बाद किसी कर्मचारी द्वारा अधिसूचना के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।
18. इच्छुक एवं पात्र कर्मचारी अपना आवेदन पूर्ण रूप से इस संलग्न प्रारूप पर भरकर अपने नियंत्रक पर्यवेक्षक के समक्ष दिनांक 19.09.2025 तक जमा करेंगे, नियंत्रक पर्यवेक्षक आवेदन को अग्रसारित के साथ एक बंध में दिनांक 22.09.2025 तक मंडल रेल प्रबंधक/कार्मिक /लज कार्यालय को भेजने की व्यवस्था करेंगे। निर्धारित तिथि के उपरांत किसी भी कर्मचारी का आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। सूचना के अभाव में यदि कोई कर्मचारी आवेदन फॉर्म भरकर जमा करने अथवा लिखित परीक्षा में बैठने से वंचित रह जाता है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बंधित पर्यवेक्षक की होगी।
19. आरक्षण मामलों और अन्य सम्बंधित मुद्दों के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय के समक्ष लंबित किसी भी न्यायालयीन मामलों के परिणाम के अधीन है।
20. इस अधिसूचना में अंकित तथ्यों (कंटेंट्स) तथा रेलवे बोर्ड एवं मुख्यालय के तत्संबंधी निर्देशों एवं परिपत्रों के बीच किसी प्रकार का विरोधाभास होने की स्थिति में मुख्यालय तथा रेलवे बोर्ड के परिपत्र/दिशा-निर्देश मान्य होंगे एवं तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
21. कर्मचारियों के लाभ के लिए अधिसूचना की एक प्रति पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल की अधिकारिक वेबसाइट <https://ner.indianrailways.gov.in/> पर अपलोड की गयी है।
22. यद्यपि इस अधिसूचना को जारी करने में रेलवे बोर्ड के मौजूदा अनुदेशों के अनुसार तैयार किया गया है परन्तु फिर भी यदि कोई त्रुटि या बोर्ड के किसी आदेश को संज्ञान में लेने से छूट गया है तो सम्बंधित

6.11.1
12-9-25

कर्मचारी / पर्यवेक्षक / शाखा अधिकारी त्रुटि को संज्ञान में अतिशीघ्र लाये ताकि उसे भी अधिसूचना में जोड़ा जा सके।

23. आवेदन अमान्य होने की शर्तें :-

- (a) निर्धारित प्रारूप में आवेदन न होना।
- (b) बिना हस्ताक्षर तथा बिना सत्यापित फोटो वाला आवेदन।
- (c) वैध अनुलग्नकों के बिना आवेदन एवं आवेदन में दी गई जानकारी और संलग्न दस्तावेजों में भिन्नता।
- (d) आवेदन पत्र में कोई भी कटिंग, ओवर राइटिंग एवं कालम खाली छोड़ना।
- (e) आवेदन में तथ्यों को छिपाना या गलत जानकारी देना।
- (f) कोई अन्य अनियमितता।
- (g) निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन।

24. सम्बंधित अधिकारीगण एवं पर्यवेक्षकगण कृपया इस अधिसूचना का व्यापक प्रचार – प्रसार कराएँ एवं लखनऊ मंडल तथा अन्य नियंत्रणाधीन विभागों/यूनिटों में कार्यरत सभी कर्मचारियों के कार्यस्थलों के नोटिस बोर्ड पर दो गवाहों के समक्ष इसकी प्रति चस्पा करें। यदि कोई कर्मचारी अवकाश अथवा सिक इत्यादि पर हो तो उनके घर के वर्तमान पते पर इसकी सूचना प्रेषित करना सुनिश्चित करें। इस अधिसूचना से सभी पात्र कर्मचारियों को अवगत कराने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बंधित पर्यवेक्षक/अधिकारी की होगी। कर्मचारी को परीक्षा में आने एवं कार्य पर वापस जाने हेतु यात्रा पास अपने स्तर से जारी करेंगे, किसी तरह फेर बदल की सूचना शीघ्र कर्मचारी को देने की व्यवस्था करेंगे।

नोट:- पाठ्यक्रम मुख्यालय से प्राप्त होने पर उपलब्ध कराया जायेगा।

उपरोक्त पर वमंसिदूई/लजं का अनुमोदन प्राप्त है।

संलग्न 01. आवेदन/विकल्प का प्रारूप

(सतीश कुमार श्रीवास्तव)
सहायक कार्मिक अधिकारी –I
दिनांक:-12.09.2025

सं०- E/II/254/SIG/TELE/JE/2020

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. महाप्रबंधक (का०) गोरखपुर, महाप्रबंधक (सतर्कता) गोरखपुर
2. वमंसिदूई/लजं, वमंविप्र/लजं, उपमुसिदूई/निर्माण/लजं, गोरखपुर।
3. समस्त मंसिदूई / समसिदूई / लखनऊ मंडल।
4. समस्त सीसेई /सिग /टेली – लखनऊ मंडल।
5. सिग० एवं दूर० कंट्रोल – कृपया अपने स्तर से प्रचार – प्रसार करायें।
6. सम्बंधित कर्मचारी द्वारा पर्यवेक्षक।
7. मंडल मंत्री /NERMC/ एससी-एसटी एशो० लजं।
8. नोटिस बोर्ड प्रति।


मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)/लजं

सिग्नल एवं दूर संचार विभाग में जेई (सिग्नल) ग्रेड पे-4200 लेवल- 6 के 20 प्रतिशत LDCE कोटे (इण्टर अप्रेंटिश कोटे) की रिक्तियों को सीबीटी द्वारा चयन के माध्यम से भरने हेतु आवेदन का प्रारूप

सेवा में,

मंडल रेल प्रबंधक / कार्मिक
लखनऊ मंडल, पूर्वोत्तर रेलवे

आवेदक की
नवीनतम पासपोर्ट
साइज़ फोटो
(पर्यवेक्षक द्वारा
अग्रसारित / मुहर
सहित)

विषय : सिग्नल एवं दूर संचार विभाग में जेई (सिग्नल) ग्रेड पे-4200 लेवल- 6 के 20 प्रतिशत LDCE कोटे (इण्टर अप्रेंटिश कोटे) की रिक्तियों को सीबीटी द्वारा चयन के माध्यम से भरने के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ:- मरेप्र/कार्मिक/लजं का अधिसूचना सं०- E/II/254/SIG/TELE/JE/2020 दिनांक:- 12.09.2025

1. नाम -
2. पिता का नाम -
3. पदनाम-
4. भविष्य निधि संख्या, HRMS ID एवं बिल इकाई-
5. वेतनमान / वेतन लेवल -
6. नियुक्ति तिथि / नियमित नियुक्ति तिथि एवं नियुक्ति पदनाम -
7. जन्मतिथि / उम्र (दिनांक -12.09.2025 तक)
8. वर्तमान पद एवं नियमित पदोन्नति तिथि -
9. प्रशिक्षण अवधि व प्रशिक्षण की तिथि -
10. तकनीशियन-III/सिग में पदोन्नति की तिथि :-
11. तकनीशियन-II/सिग में पदोन्नति की तिथि :-
12. तकनीशियन-I/सिग में पदोन्नति की तिथि :-
13. वरिष्ठ तकनीशियन/सिग में पदोन्नति की तिथि :-
14. समुदाय (अजा/अजजा के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न करें) :-
15. शैक्षणिक योग्यता: (प्रमाण पत्र संलग्न करें):-
16. कार्यस्थल :-
17. मोबाइल नं० -

कर्मचारी घोषणा पत्र -

मैं घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि मेरे द्वारा दिए गए उपरोक्त विवरण सत्य हैं और इस अधिसूचना में दिए गए सभी निर्देशों को भली भांति समझ लिया है। यदि प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार चयनित होने पर स्थानान्तरण होता है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ।
(सभी संलग्नक की स्पष्ट छायाप्रति जो कर्मचारी के द्वारा स्वः हस्ताक्षरित हो।)

कर्मचारी का हस्ताक्षर.....
पद
कार्यरत स्थान.....
दिनांक.....

पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर / मुहर सहित।

12-9-25